महाधिवक्ता कार्यालय, बिहार
उच्च न्यायालय, पटना

<u>बोली आमंत्रण सूचना</u>

सू०सं०सं०– 14

पटना, दिनांक 09 जनवरी, 2026

महाधिवक्ता कार्यालय, बिहार, उच्च न्यायालय, पटना में रक्षित वैसे सामान यथा अत्यधिक पुराने अनुपयोगी कंप्यूटर, प्रिंटर, मोनिटर, की–बोर्ड, बैट्री, स्टैंड फैन, टेलिफोन सेट, कुर्सी, आलमीरा, एसी, फैक्स, स्टेबिलाईजर आदि जो अब किसी भी तरह से कार्यालय के उपयोग लायक नहीं रह गये हैं, का बोली के आधार पर निष्पादन किये जाने का आदेश विभागाध्यक्ष–सह–विद्वान महाधिवक्ता, बिहार द्वारा दिया गया है। उक्त अनुपयोगी रद्दी सामानों द्वारा कार्यालय में जगह धारित कर लिये जाने से जगह की कमी हो गयी है, जिसके चलते इसका निष्पादन जरूरी हो गया है।

उपर्युक्त के निष्पादन हेतु श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, सरकारी अधिवक्ता संख्या–7 की अध्यक्षता में एक कमिटि का गठन किया गया है, जिसकी दिनांक 07.01.2026 की बैठक में निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं:–

1. उपर्युक्त अनुपयोगी/रद्दी सामग्रियों का निष्पादन बोली के आधार पर दिनांक 25.01.2026 को पूर्वाह्न 11 बजे कार्यालय के नये भवन में किया जाएगा।
2. बोली में भाग लेने वाले इच्छुक कारोबारियों को भाग लेने से पूर्व अग्रधन के रूप में रू०5000/–(पांच हजार रूपये) मात्र कार्यालय के प्रशाखा पदाधिकारी–सह–रोकड़पाल श्री सदानन्द कुमार के पास नकद रूप में जमा करना आवश्यक होगा।
3. निष्पादित होने वाले सामग्रियों को देखने हेतु बोली में भाग लेने को इच्छुक कारोबारी कार्यालय में कार्यदिवसों में आकर श्री सुशांत कुमार, उच्चवर्गीय लिपिक तथा श्री अमित कुमार झा, बाह्यस्रोत डाटा इंट्री ऑपरेटर से संपर्क कर सकते हैं।
4. बोली के माध्यम से निष्पादन होने वाले सामग्रियों को अधिकतम बोली लगाने बाले कारोबारियों को समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर दिया जायेगा, जिसे कारोबारी अपने खर्च पर तुरत कार्यालय परिसर से ले जाने को बाध्य होंगे।
5. निष्पादित सामग्रियों को कार्यालय परिसर से बाहर ले जाने के पूर्व ही अग्रधन की राशि के सामंजन उपरांत देय संपूर्ण राशि एकमुश्त जमा करना होगा। बोली में सफल घोषित किये गये कारोबारी के अतिरिक्त शेष का अग्रधन वापस कर दिया जायेगा।
6. निष्पादित सामग्रियों को ले जाने वाले कारोबारी इस आशय का एक प्रमाण पत्र कार्यालय में समर्पित करेंगे कि –निष्पादित सामग्रियों का उनके द्वारा उपयोग/निष्पादन वैधानिक तरीके से किया जाना होगा तथा वे निष्पादन के विहित तरीके का कोई उल्लंधन किसी भी परिस्थिति में नहीं करेंगे।

9/1/26

(योगेन्द्र प्रसाद सिन्हा)
अपर महाधिवक्ता
कार्यालय प्रभारी।